मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462003

क्रमांक एफ 41-6/2013/20-1 भोपाल, दिनांक 30/3/2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
3. समस्त आयुक्त नगर निगम,
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
6. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषयः– संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भः–(1) विभाग का परिपत्र क्रमांक 497/250/2013/20–1, दिनांक 5.3.2013
(2) विभाग का परिपत्र क्रमांक 707/764/2013/20–1, दिनांक 26.3.2013

––0––

विभाग के संदर्भित आदेश क्रमांक 1 के अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के नियोजन के अंतर्गत प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं नियुक्तिकर्ता के अधिकारी के चयन की कार्यवाही दिनांक 31.03.2013 तक प्रक्रियाधीन है। संदर्भित आदेश (2) अनुसार शासकीय हाईस्कूल के लिए सीधी भर्ती अंतर्गत 9750 पद संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के स्वीकृत किये गये है। इन पदों की पूर्ति गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू विषय से की जाना है। संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन में केवल माध्यमिक शालाओं के रिक्त पदों का उल्लेख किया गया है। हाईस्कूल के लिए पदों की स्वीकृति होने के उपरांत आपके स्तर से निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है :–

1. शासकीय हाईस्कूल के लिए विषयवार एवं आरक्षणवार पदों का चिन्हांकन :–

उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये गये सीधी भर्ती के पदों के नियोजन की कार्यवाही के संबध में आपके स्तर से निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित है :–

(अ) शासकीय हाईस्कूल के लिए :–

(1) हाईस्कूल के लिए उपलब्ध कराये गये पदों का नियुक्तिकर्तावार एवं आरक्षणवार चिन्हाकन का कार्य जिला स्तर से किया जाना है। संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के रिक्त पदों की पूर्ति केवल ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत स्तर पर हाईस्कूल के लिए की जाना है। अतः केवल जिला पंचायत अंतर्गत रिक्त पदों पर ही नियोजन के संबंध में पदों के चिन्हांकन की कार्यवाही की जाए।

(2) पदों के चिन्हांकन की कार्यवाही के लिए ऑन लाईन साफ्टवेयर उपलब्ध रहेगा। माध्यमिक शालाओं के लिए आपके द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये पदों के नीचे हाईस्कूल के विषयवार पदों

उर्दू विषय का चिन्हांकन की कार्यवाही दिनांक 6.4.2013 के पूर्व की जाना है। इसके उपरांत साफ्टवेयर में प्रविष्टि की सुविधा उपलब्ध नही होगी।

(ब) हायर सेकेण्डरी शालाओं के लिए संस्कृत विषय अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 का चिन्हांकन :–

(1) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1–49/2012/20–1 दिनांक 5.10.2012 के द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के रिक्त पद आपको उपलब्ध कराये गये है। इस परिपत्र की कंडिका–7 में सांदिपनी संस्कृत भाषा प्रसार योजना अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के प्रति विकास खण्ड एक के मान से 224 संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के पदों को स्वीकृत करते हुये इनमें से 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने के निर्देश दिए थे। इस कंडिका को विलोपित करते हुये निर्देश दिए जाते है कि "सांदिपनी संस्कृत भाषा प्रसार योजना एक विशिष्ट प्रकार की योजना है। इसकी उपयोगिता एक पृथक उद्‌देश के लिए संस्कृत भाषा प्रसार अंतर्गत की जाना है। अतः स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 224 एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत 89 कुल 313 पदों पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के पदों को केवल सीधी भर्ती अंतर्गत पूर्ति करने के संबंध में विषयवार एवं आरक्षणवार चिन्हांकन की कार्यवाही आपके स्तर से ऑन लाईन अपेक्षित है।

(2) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 संस्कृत विषय के यह पद प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक पद के मान से स्वीकृत किये गये है। इनका चिन्हांकन विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय के अंतर्गत किया जाना है। पूर्व में जारी विस्तृत विज्ञापन में आपके द्वारा केवल 69 पदों को ही चिन्हांकित किया गया है यदि यह पद 313 पदों में सम्मिलित किये गये हो तो उतने पदों को कम करते हुए शेष पदों आरक्षणवार चिन्हांकन ऑन लाईन करने का कष्ट करें। यह समस्त कार्यवाही दिनांक 6.4.2013 के पूर्व की जाना है। इसके उपरांत साफ्टवेयर में प्रविष्टि की सुविधा उपलब्ध नही होगी।

2. संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 अंतर्गत हिन्दी एवं उर्दू योग्यताधारी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन :–

शासकीय हाईस्कूलों के लिए नवीन पद जारी किये गये है। इनमें हिन्दी एवं उर्दू के पद भी रिक्तियों के अनुसार उपलब्ध रहेंगे। संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में प्रशिक्षित एवं हिन्दी अथवा उर्दू विषय के साथ स्नातक योग्यता रखते है तथा जिनके द्वारा संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा–2011, हिन्दी अथवा उर्दू विषय के साथ उत्तीर्ण की है वे निर्धारित समयावधि अपने अभिलेखों का सत्यापन करवाकर नियुक्तिकर्ता अधिकारी का चयन करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में अभिलेखों का सत्यापन करवा लिया है किन्तु तत्समय हिन्दी एवं उर्दू के पद उपलब्ध नही होने के कारण

अभ्यर्थी पूर्व में जारी रिफरेन्स नंबर के आधार पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी के विकल्प का चयन निर्धारित समयावधि में करवा सकेंगे।

3. **संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के भर्ती प्रक्रिया हेतु समय–सारणी**

उक्त उल्लेखित प्रक्रियाएं एक निश्चित समयावधि में पूरे प्रदेश में एक साथ संपन्न की जाना है। विभिन्न गतिविधियों को संपादित करने की समय सारणी निम्नलिखित अनुसार है :–

क्र.	गतिविधि	समयावधि या तिथि
1	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के सीधी भर्ती अंतर्गत हिन्दी/उर्दू तथा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 अंतर्गत संस्कृत के रिक्तियों की विज्ञापन प्रारूप में ऑनलाईन प्रविष्टि	06.04.2013 तक
2	जिलों द्वारा विज्ञापन की हस्ताक्षरित हार्ड कापी संचालालय को उपलब्ध कराना	07.04.2013
3	संक्षिप्त विज्ञापन जारी करना	02.04.2013
4	प्रदेश का समेकित विज्ञापन एम.पी.ऑनलाईन पर प्रदर्शित करना	08.04.2013
5	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 अंतर्गत हिन्दी एवं उर्दू विषय के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन	09.04.2013 से 13.04.2013 तक (कार्यालयीन समय में)
6	उपरोक्त कॉलम–5 में उल्लेखित आवेदकों द्वारा नियुक्तकर्ता अधिकारी का चयन	09.04.2013 अपरान्ह 3:00 बजे से 14.04.2013 रात्रि 11:55 बजे तक
7	एम.पी.ऑनलाईन द्वारा व्यापम को डाटा प्रदान करना	16.04.2013
8	व्यापम द्वारा संशोधित सूची प्रदान करना	20.04.2013 तक
9	पोर्टल पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 की चयन सूची का प्रकाशन	30.04.2013 तक

30/03/13

(एल.एल.राजौरिया)
अवर सचिव
म.प्र. शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 30/3/2013

पृष्ठां. कमांक एफ 1–6 /2013/20–1
प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, मा0 स्कूल शिक्षा मंत्री, म0प्र0 शासन।
2. निज सचिव, मा0 राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा, म0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, म0प्र0 शासन।

7. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म0प्र0।
8. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग।
9. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल, म0प्र0।
10. सचालक, म.प्र.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल।
11. सी.ओ.ओ. एम.पी. ऑनलाईन, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशगाबाद रोड़, भोपाल (मध्यप्रदेश)

अवर सचिव
म.प्र. शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग